**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्या: 167**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**विशाखापट्टनम-चेन्नै औद्योगिक गलियारा**

**\*167. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशाखापट्टनम-चेन्नै औद्योगिक गलियारा विकसित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस औद्योगिक गलियारे के विकास में राज्य और केन्द्र सरकार की क्या-क्या भूमिका है; और

(घ) इस गलियारे के विकास के लिए आबंटित, जारी की गई राशि और आज की तारीख तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (घ):** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 06.03.2020 को उत्‍तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 167 के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) और (ख):** जी, हां। विजाग-चेन्‍नई औद्योगिक कॉरीडोर (वीसीआईसी) को पूर्वी तटीय आर्थिक कॉरीडोर (ईसीईसी) के चरण-I के रूप में विकसित किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वीसीआईसी के लिए अवधारणात्‍मक विकास योजना (सीडीपी) तैयार की थी और विकास के लिए आंध्र प्रदेश के चार नोड्स नामत: विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, डोनाकोंडा और चित्‍तूर की पहचान की गई थी। इनमें से दो नोड्स अर्थात विशाखापट्टनम और चित्‍तूर को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मास्‍टर प्‍लानिंग के लिए प्राथमिकता दी गई है। एडीबी ने इन दो नोड्स के लिए व्‍यापक एकीकृत मास्‍टर प्‍लान तैयार किया और प्रस्‍तुत किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्‍ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्‍वयन न्‍यास (एनआईसीडीआईटी) के क्षेत्राधिकार में विशाखापट्टनम और चित्‍तूर नोड्स को शामिल करने का अनुरोध किया है ताकि वित्‍तीय संसाधनों को बढ़ावा दिया जा सके और भारत में औद्योगिक कॉरीडोर्स के नियोजन और विकास के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ प्राप्‍त किया जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्‍ताव पर 30 अगस्‍त, 2019 को आयोजित एनआईसीडीआईटी के न्‍यासी बोर्ड की चौथी बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और न्‍यासी बोर्ड ने उपर्युक्‍त दो प्राथमिकता वाले नोड्स के लिए विस्‍तृत मास्‍टर प्‍लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग परियोजना विकास की गतिविधियों को आरंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। आंध्र प्रदेश सरकार से, निकटवर्ती भूमि पार्सल की उपलब्‍धता, उनके पास पहले से मौजूद भूमि जिसे प्राथमिकता वाले नोड्स के लिए प्रस्‍तावित एसपीवी को तत्‍काल हस्‍तांतरित किया जा सकता है, से संबंधित ब्‍यौरे देने का अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार का उत्‍तर अभी प्रतीक्षित है।

**(ग):** औद्योगिक कॉरीडोर परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्‍थागत और वित्‍तीय अवसंरचना के अनुसार; राज्‍य सरकारें भूमि के रूप में इक्विटी का योगदान करती हैं और भारत सरकार एनआईसीडीआईटी के माध्‍यम से विस्‍तृत मास्‍टर प्‍लानिंग और विस्‍तृत प्रारंभिक इंजीनियरिंग के पूरा होने पर चिह्नित नोड्स में मुख्‍य अवसंरचना घटकों के विकास हेतु समान इक्विटी के लिए सीसीईए के अनुमोदन/मूल्‍यांकन के पश्‍चात निधियन सहायता प्रदान करती है। राज्‍य सरकार और एनआईसीडीआईटी ने 50:50 के संयुक्‍त उपक्रम भागीदारी के रूप में एक विशेष प्रयोजन माध्‍यम (एसपीवी) तैयार किया है।

**(घ):** भारत सरकार के इक्विटी/ऋण योगदान सहित विभिन्‍न अवसंरचना घटकों के लिए लागत अनुमान को, विस्‍तृत मास्‍टर प्‍लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियंरिंग के पूरा होने पर ही सुनिश्चित किया जा सकता है। वीसीआईसी के संबंध में यह कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है। अत: इस कॉरीडोर के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*